प्रकरण संख्या 1/2022 केसरसिंह बनाम निशार अहमद

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.12.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की खाता संख्या 9 की आराजी नंबर 336, 338, 339, 2223/340 किता 4 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा 10 विस्वांसी भूमि ग्राम पीपली में स्थित है एवं इसी प्रकार खाता संख्या 8 की आराजी नंबर 337 रकबा 10 बिस्वा 10 विस्वांसी भूमि स्थित है, जो वादी ने तत्कालीन खातेदार स्वामी आनन्द सिंह पिता केसरसिंह से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की एवं उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। मौजा पीपली में आराजी नंबर 351, 361, 344, 345, 348, 349 स्थित होकर प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है, जिसमें कदीम से रास्ता निकल रखा है, जिससे पूर्व खातेदारान आते–जाते रहे हैं, परन्तु रेकार्ड में उक्त रास्ता दर्ज नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 जिन्होंने कुछ समय पूर्व उक्त आराजी क्रय की, अब विवाद कर रहे हैं तथा रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। वादी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः ग्राम पीपली की आराजी नंबर 351, 361, 344, 348, 349 में 25 फिट रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादी के उक्त रास्ते में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं वादी को आने–जाने देवें। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि आराजी नंबर 351, 361, 344, 345, 348, 349 में कभी भी रास्ता नहीं था तथा वादी के खेत पर जाने हेतु अन्य आराजी से रास्ता उपलब्ध है, जो प्रतिवादी संख्या 5 से 25 के खाते एवं कब्जे की हैं। वादी ने झूठा एवं मनगढ़न्त वाद प्रस्तुत किया है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:50:19 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.11.2021 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 28.12.2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 03.03.2021 को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र एवं शेष अप्रार्थीगणों की तलबी हेतु नियत था, किन्तु उसके बाद लगातार तीन पेशियों पर कोई सुनवाई नहीं हुई एवं दिनांक 18.08.2021 को दिनांक 23.11.2021 की पेशी दी गयी, किन्तु उससे पूर्व ही अपीलान्टगण को बिना कोई सूचना दिये प्रकरण दिनांक 03.11.2021 को राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया गया, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के आधार पर अपीलान्टगण के खाते की भूमि में रास्ता अंकित कर दिया जावे तो उसे विलोपित किया जाकर पुनः पूर्ववत स्थिति कायम करायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2021 को आगामी पेशी 23.11.2021 नियत की गयी, [illegible] बाद में उसे काट कर 08.10.2021 कर दिया गया तथा दिनांक 08.10.2021 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.11.2021 को प्रकरण कैम्प में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:30:19 IST
Reason: SelfAttested

रखकर अपीलान्टगण को बिना सुने निर्णय पारित कर दिया गया। उक्त कैम्प के नोटिस जारी किये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा हम पाते हैं कि अपीलान्टगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में उक्त रास्ते बाबत् आपत्ति प्रकट की गयी थी, जिसको संज्ञान में लेकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गयी है। पर्चा मौका भी भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी द्वारा मौके पर खातेदारों की उपस्थित होकर तैयार नहीं की गयी है तथा उक्त पर्चा मौका में रास्ते बाबत् कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जबकि इसके विपरीत ग्राम पंचायत लगेतखेड़ा द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उसमें स्पष्ट अंकन है कि केसरसिंह, बाबूसिंह, नारायणसिंह, राजूसिंह अर्थात हाल अपीलान्टगण की भूमि में निसार अहमद अर्थात वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का न तो पूर्व में कोई रास्ता था, न ही वर्तमान में है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की अनदेखी करते तथा अपीलान्टगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये उनकी खातेदारी भूमि से रास्ते बाबत् जो निर्णय पारित किया है, वह न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.11.2021 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर तथा रास्ते बाबत् सभी पक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार भीम से रिपोर्ट तैयार कर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.02.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:30:19 IST
Reason: SelfAttested

([illegible]ीता मीना)
भू–[illegible] अधिकारी
एवं पदेन [illegible] अपील अधिकारी
उदयपुर